

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी

मुकाम : रावतभाटा

चलानेवाला सिद्ध

बनाम

सादलाराम

किस्म मुकदमा


साद

नं०

22

सन्

2024

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इसमें जारी हुए
11/12/2024	<p>उक्त प्रकरण में राजहित-प्रभावित नही होने से परोकार सरकार का जवाब बांछनीय नही होने का निर्वेदन किया। अतः परोकार सरकार का जवाब इसी स्तर पर बंद किया जाता है। वकील वादी द्वारा प्रा.पत्र (0)7 (R)॥ सपठित धारा- 151 का जवाब प्रस्तुत करने हेतु अवसर-चाहा जो दिया जाता है। पत्रावली वास्ते जवाब प्रा.पत्र (0)7 (R)॥ सपठित धारा- 151 दिनांक 11/12/2024 को पेश है।</p> <p>S.D.O.</p> <p>पत्रावली पेश हुई, P.O. सादव अतकाश मे... होने से... अब पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 11/12/24... को पेश की जावे।</p>	<p>राजहित प्रभावित नही होने से जवाब बांछनीय नही है।</p> <p>26/11/24</p>
13/12/2024	<p>पत्रावली पेश हुई। उभय पक्षकारण उपस्थित। वकील वादी द्वारा प्रा.पत्र (0)7 (R)॥ सपठित धारा- 151 का जवाब हेतु अवसर-चाहा जो दिया जाता है। पत्रावली वास्ते जवाब व वकील प्रा.पत्र (0)7 (R)॥ व धारा- 151 दिनांक 24/12/2024 को पेश है।</p> <p>S.D.O.</p>	<p>सादलाराम</p>
24/12/2024	<p>पत्रावली पेश हुई... अधिशासक संघ द्वारा न्यायालय... कार्य-स्थापित कराने से अब पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 24/12/24... को पेश की जावे।</p>	<p>सादलाराम</p> 
07/01/2025	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील वादी व वादी न्यायालय में अनुपस्थित। वकील वादीगण व वादीगण को</p>	

# Form No. III

## फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी

मुकाम : रावतभाटा

चनव्याम-सिंह

बनाम सादलराम

किस्म मुकदमा

ताद

नं०

२२

सन्

२०२५

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इसमें जारी हुए
	<p>न्यायालय द्वारा न्यायालय समय पर तीन बार अलग-अलग समय पर आवाज लगावाई गई लावजूद वादीगण व बकील वादीगण न्यायालय में अनुपस्थित अतः न्यायालय ने वादपत्र में वादी की ओर से पैरती हेतु उपस्थित नही होने से वाद-पत्र वसी क्तर पर अदम एजिरी-अदम पैरती में खारिज किया जाता है। पत्रावली क्स्ते कैसल बुमार ही दर्ज रजिस्टर से फम की जाकर शामिल दफ्तर हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)</p>	